न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—372 / 2025 / 223 आर.टी.एक्ट (2025 / 372)

1. बबलू पुत्र ज्वाला
2. मेहरबान पुत्र ज्वाला
3. हनीफ पुत्र ज्वाला समस्त जाति मेहरात, निवासी ग्राम भीमपुरा, नसीराबाद

अपीलांट्स

बनाम

1. पप्पू पुत्र मुकना
2. नैना बानो
3. बीरी बानो
4. नैनी पुत्रियां मुकना
5. शकरूद्दीन पुत्र मुकना समस्त जाति मेहरात, निवासी ग्राम भीमपुरा, नसीराबाद।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद, अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद अजमेर राजस्व वाद संख्या 39 / 2024

उपस्थितः—

1. श्री राघवेन्द्रसिंह राणावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अजीतसिंह राठौड अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4
3. श्री सीताराम रावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6
5. रेस्पोडेंट संख्या 5 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—14.11.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 39 / 2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट्स द्वारा वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एकपक्षीय बहस सुनते हुए वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में दिनांक 30.06.2025 को निर्णय व डिक्री पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 5 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के अभिभाषक की लापरवाही के कारण अपीलार्थीगण की ओर से समुचित पैरवी नहीं की गई तथा आलोच्य निर्णय एवं डिक्री पारित हो गई। इस प्रकार अभिभाषक की लापरवाही की सजा अपीलार्थीगण को प्रदान नहीं की जा सकती है। जिस कारण अपीलार्थीगण के नैसर्गिक सुनवाई के अधिकार का हनन हुआ है। जैसा कि न्यायिक दृष्टांत 2014 आरबीजे पेज 308 पर उच्च न्यायालय ने न्यायिक सिद्धांत पारित किया है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष वादी ने तथ्य छिपाते हुए कंसिल ऑफ फैक्ट कारित करते हुए वाद पेश किया है जबकि वादी मुकना द्वारा अपीलार्थीगण के पिता को दिनांक 02.01.2002 को विवादित्त आराजी को संपूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिया तथा कब्जा सुपुर्द कर दिया, जिसकी ताहिद में विकय पत्र की प्रति साथ पेश है। बरवक्त क्रय से आज तक विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण के पिता तथा उनके बाद अपीलार्थीगण काबिज काश्त है। इस प्रकार विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण का वादी की सहमति से कब्जा काश्त है, जिस कारण अपीलार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। इस प्रकार अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में विधि विरूद्ध जाकर अपना निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण की समुचित पैरवी नहीं होने के कारण अपीलार्थीगण के विरूद्ध आलोच्य निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिए गए जबकि स्थायी निषेधाज्ञा का वाद काबिज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार ही पेश कर सकता है। जबकि यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर कब्जा काश्त अपीलार्थीगण का साबित है, जो वादी की सहमति से है। जिस कारण वाद वादी चलने योग्य नहीं है। जैसा की न्यायिक दृष्टांत 1997 आरबीजे पेज 609 एवं 1998 आरबीजे पेज 490 से स्पष्ट है। इस प्रकार अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध होने से उक्त अपील के माध्यम से काबिल खारिज है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं किया गया तथा वादीगण की ओर से साक्ष्य, शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। इस कारण वाद साबित नहीं होने से काबिल निरस्तनीय है। इसके बाद भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने आलोच्य निर्णय एवं डिक्री पारित किए हैं, जो उनमें निहित क्षेत्राधिकार का विधि विरूद्ध प्रयोग होने से उक्त अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। न्यायिक दृष्टांत 2012 आरबीजे पेज 547 एवं 2016 आरबीजे पेज 136 में यह स्पष्ट न्यायिक सिद्धांत पारित किया गया कि बरवक्त प्रस्तुत करने वाद वादी यदि विवादित आराजी पर काबिज काश्त नहीं है तो स्थायी निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं है तथा वर्तमान प्रकरण में कब्जा काश्त अपीलार्थीगण का स्पष्ट साबित है। इस प्रकार अधीनस्थ विचारण न्यायालय

द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30. 06.2025 उक्त न्यायिक दृष्टांतों के विपरित होने से उक्त अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रक्रियात्मक विधि की पालना नहीं की गई तथा आवश्यकता से अधिक जल्दबाजी करते हुए रेस्पोडेंट के पक्ष में वाद स्वीकार किया गया जबकि वादीगण द्वारा वाद के कथनों को साबित नहीं करवाया गया तथा मौके की कोई भौतिक स्थिति बाबत भी कोई साक्ष्य नहीं लिया गया तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार नसीराबाद द्वारा वादीगण से मिलीभगत करते हुए समुचित पैरवी नहीं की गई। इस प्रकार समस्त कार्यवाही एकतरफा में निष्पादित की गई, जिस कारण प्रार्थीगण के मूल्यवान हक एवं अधिकार विपरित से प्रभावित हो गए जबकि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का निर्दोष कब्जा साबित है तथा कब्जे के अभाव में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद कतई चलने योग्य नहीं है। इस कारण अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2025 उक्त प्रथम अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि ग्राम भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 1921 रकबा 0.34 1922 रकबा 0.24 व 1923 रकबा 0.23 वादी की खातेदारी की है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा दिनांक 01.02.24 को आराजी मुतनाजा पर अवैध कब्जा करने के आशय से वादी को बेदखल करने की धमकी दी। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1997 पेज 68, 2019 आरबीजे 101, आरआरडी 1992 पेज 421, आरआरडी 1992 पेज 648, आरआरडी 1989 पेज 540 प्रस्तुत किए हैं।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट्स/वादीगण द्वारा वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वादीगण/रेस्पोडेंट की एकपक्षीय बहस पर मनन करते हुए वादीगण/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में दिनांक 30.06.2025 को निर्णय व डिक्री पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेंट्स द्वारा वाद दिनांक 04.03. 2024 को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22. 08.2024 को प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 24.06.2025 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 बावजूद नोटिस

तामील के अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से कथन किया गया कि अभिभाषक की लापरवाही की सजा अपीलार्थीगण को प्रदान नहीं की जा सकती है। अपीलार्थीगण के नैसर्गिक सुनवाई के अधिकार का हनन हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात भी प्रकरण में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रकरण में अनुपस्थिति का समुचित व विश्वसनीय कारण नहीं बताए जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को दिनांक 21.07.2025 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट/प्रतिवादीगण को अनेक अवसर दिए जाने के पश्चात प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अपीलांट द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही के संबंध में कहे गए कथनों को वह साबित नहीं कर पाए हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध चौसाला जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 397 के कुल किता 6 कुल रकबा 1.4000 के रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक 1/5–1/5 राजस्व हिस्से में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार/काश्तकार हैं। अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के मध्य विवाद खसरा नम्बर 1921 रकबा 0.34, खसरा नम्बर 1922 रकबा 0.24, खसरा नम्बर 1923 रकबा 0.23 का है तथा उक्त खसरा नम्बर के रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 हैं।

अपीलांट्स/प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 02.01.2002 का इकरानामा प्रस्तुत किया गया है। जो कि रजिस्टर्ड/पंजीबद्ध नहीं होकर नोटेरीकृत है। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से कथन किया गया कि अपीलार्थीगण के पिता द्वारा दिनांक 02.01.2002 को विवादित आराजी का संपूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिया गया है। परंतु पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों में कहीं पर भी अपीलांट्स/प्रतिवादीगण का नाम नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में भी यही माना है कि उक्त आराजीयात रेस्पोडेंट्स/वादीगण की है तथा अपीलांट्स/प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात में कोई हक अधिकार निहित नहीं है। वादी/रेस्पोडेंट्स विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट्स स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार एक रिकार्डेड खातेदार ही 188 प्राप्त करने का हक अधिकारी है। अपीलांट्स द्वारा मात्र एग्रीमेंट के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि पोषणीय नहीं है। अपीलांट्स एग्रीमेंट बाबत सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र हैं। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को वह साबित कर पाने में विफल रहे है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय व डिक्री यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर